



बिधि हरि हर कबि कोबिद बानी। कहत साधु महिमा सकुचानी।।
सो मो सन कहि जात न कैसैं। साक बनिक मनि गुन गन जैसैं।।

ब्रह्मा, विष्णु, शिव, कवि और पण्डितों की वाणी भी संत-महिमा का वर्णन करने में सकुचाती है; वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग-तरकारी बेचने वाले से मणियों के गुण समूह नहीं कहे जा सकते।।

श्रीरामचरितमानस (बालकाण्ड-6)

प्रो. कमल किशोर पंत

स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/84067 दिनांक 11.10.2022 के अनुसार प्रो. कमल किशोर पंत, रासायनिक इंजीनियरी विभाग को भा.प्रौ.सं., रुड़की, उत्तराखण्ड से 5 वर्ष की अवधि के लिए निदेशक पद का नियुक्ति प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। प्रो. पंत ने 12.10.2022 से भा.प्रौ.सं. रुड़की, उत्तराखण्ड में निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। प्रो. पंत ने संस्थान में अपने पद पर पुनर्ग्रहणाधिकार रखने का अनुरोध किया था। सक्षम प्राधिकारी ने 12.10.2022 से आगामी पाँच वर्ष के लिए उन्हें पुनर्ग्रहणाधिकार की स्वीकृति प्रदान की है।

स्वागत

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/83155 दिनांक 7.10.2022 के अनुसार प्रो. अंजन रॉय ने 3.10.2022 से संस्थान के जैव रसायनिक इंजीनियरी एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग में सातवें वेतन आयोग के लेवल-12 में सहायक प्रोफेसर ग्रेड-I के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

प्रो. अंजन रॉय को उनकी नियुक्ति से तीन वर्ष की अवधि अथवा वेतन लेवल 13ए1 प्राप्त करने तक (जो भी पहले हो) संस्थान द्वारा प्रायोजित "युवा संकाय प्रोत्साहन फेलोशिप" भी प्रदान की गई है।

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-5/2022/82864 दिनांक 7.10.2022 के अनुसार डॉ. अखिलेश सिंह ने 28.9.2022 से संस्थान के अन्तरविद्याशाखायी अनुसंधान स्कूल (SIRe) में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-4/2022/82070 दिनांक 4.10.2022 के अनुसार डॉ. (सुश्री) जाह्नवी तिवारी ने 29.9.2022 से संस्थान के विद्युत इंजीनियरी विभाग में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/82580 दिनांक 6.10.2022 के अनुसार डॉ. (सुश्री) सोनम आचार्या ने 29.9.2022 से संस्थान के आटोमेटिव अनुसंधान एवं ट्राइबोलॉजी केन्द्र (कार्ट) में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/82585 दिनांक 6.10.2022 के अनुसार डॉ. (सुश्री) सृष्टि शर्मा ने 4.10.2022 से संस्थान के मानविकी एवं समाज विज्ञान विभाग में अंग्रेजी भाषा अनुदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-3/2022/83830 दिनांक 11.10.2022 के अनुसार डॉ. ऋषि कान्त सिंह ने 6.10.2022 से संस्थान के कुसुमा जैव विज्ञान स्कूल में पोस्ट-डॉक्टरल फेलो के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है।

त्यागपत्र

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/U-4/50226 दिनांक 7.10.2022 के अनुसार डॉ. अशोक मोहन जाधव, पोस्ट-डॉक्टरल फेलो (विद्युत इंजीनियरी विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 31.10.2022 से स्वीकार कर लिया है। अतः डॉ. अशोक मोहन जाधव को 31.10.2022 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा।

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IESI/2022/77933 दिनांक 23.09.2022 के अनुसार डॉ. पिटू बर्मन, पोस्ट डॉक्टरल फेलो (नैनोस्केल अनुसंधान सुविधाएं) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 20.09.2022 से स्वीकार कर लिया है। अतः डॉ. पिटू बर्मन को 20.09.2022 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया गया है।

- स्थापना अनुभाग-I से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IES1/U-4/84080 दिनांक 11.10.2022 के अनुसार डॉ. प्रियातोष महिष, पोस्ट डॉक्टरल

फेलो (विद्युत इंजीनियरी विभाग) ने अपने पद से त्यागपत्र का अनुरोध किया था। जिसे सक्षम प्राधिकारी ने 17.10.2022 से स्वीकार कर लिया है।

अतः डॉ. प्रियातोष महिष को 17.10.2022 से संस्थान कार्य से मुक्त कर दिया जाएगा।

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास प्रायोजित परियोजनाओं/परामर्श कार्यों के अन्तर्गत कार्य कर रहे पूर्णकालिक विद्यार्थियों के मानदेय में संशोधन

औद्योगिक अनुसंधान एवं विकास (IRD) कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/IRD/M-109 76989 दिनांक 19 सितम्बर, 2022 के अनुसार निदेशक महोदय ने अनुसंधान परियोजनाओं/परामर्श कार्यों में अतिरिक्त कार्य करने पर पूर्णकालिक विद्यार्थियों के मानदेय की अधिकतम सीमा निम्नानुसार बढ़ाई है:-

क्र.सं	पाठ्यक्रम	विद्यमान मानदेय (रु. में)	प्रस्तावित मानदेय (रु. में)
1.	पीएच.डी.	अधिकतम 20,000 / रु. प्रतिमाह	अधिकतम 40,000 / रु. प्रतिमाह
2.	एम.टेक./एम.एस.(आर.)	अधिकतम 10,000 / रु. प्रतिमाह	अधिकतम 20,000 / रु. प्रतिमाह
3.	बी.टेक./एम.एससी.	सत्रार्थ अवधि के दौरान अधिकतम 7,500 / रु. प्रतिमाह अवकाश अवधि के दौरान अधिकतम 15,000 / रु. प्रतिमाह	सत्रार्थ अवधि के दौरान अधिकतम 15,000 / रु. प्रतिमाह अवकाश अवधि के दौरान अधिकतम 30,000 / रु. प्रतिमाह

उपरोक्त संशोधित मानक 1 सितम्बर, 2022 से प्रभावी होंगे।

भा.प्रौ.सं. दिल्ली परिसर में फोटोग्राफी एवं विडियोग्राफी की संशोधित दरें

सम्पदा कार्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति सं. IITD/Estet./2022-EOAIW08-80039 दिनांक 28.9.2022 के अनुसार 17.8.2022 को आयोजित 68वीं वाणिज्यिक स्थापना एवं लाइसेंस समिति (CELC) की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार भा.प्रौ.सं. परिसर में जंस्कार छात्रावास के पीछे स्थित मैसर्स एच.एस. स्टूडियो द्वारा फोटोग्राफी तथा विडियोग्राफी करने के लिए निम्नलिखित संशोधित दरों को अनुमोदित किया गया है:-

क्र. सं	मद का विवरण	2016 से प्रभावी विद्यमान दरें (रु. में)	संशोधित दरें (रु. में)	क्र. सं	मद का विवरण	2016 से प्रभावी विद्यमान दरें (रु. में)	संशोधित दरें (रु. में)
1.	10 फोटो	25.00	40.00	7.	4x6 (2 कॉपी)	70.00	80.00
2.	20 फोटो	35.00	60.00	8.	5x7 (2 कॉपी)	80.00	85.00
3.	30 फोटो	40.00	70.00	प्रिंट के लिए दी गई सॉफ्ट-कॉपी			
4.	तत्काल पासपोर्ट साइज फोटो (8 कॉपी)	40.00	45.00	9.	4x6 साइज	5.00	6.00
5.	केवल सॉफ्ट-कॉपी	20.00	30.00	10.	5x7 साइज	7.00	10.00
स्टूडियो				11.	6x8 साइज	20.00	20.00
6.	P.S.-2 कॉपी	50.00	65.00	12.	8x10 साइज	40.00	50.00
				13.	8x12 साइज	60.00	70.00
				14.	10x12 साइज	75.00	85.00

आजादी का अमृत महोत्सव

अंग्रेजों के लिए साक्षात दुर्गा बन जाती थीं

वह वीरांगना, जो अंग्रेजों से लोहा लेने में
गोलियां चलाने से नहीं डरीं। वह
क्रांतिकारी, जो आजादी के दीवानों को
शस्त्र उपलब्ध कराती रहीं। वह महिला, जो
भगत सिंह को अंग्रेजों के जाल से निकाल
लाई। यह दुर्गावती देवी अर्थात दुर्गा भाभी
के अतिरिक्त और कौन हो सकती हैं ?
स्वाधीनता सेनानी भगवती चरण वोहरा की
पत्नी और देशभक्त दुर्गा भाभी की आजादी
के प्रति दीवानगी देखते ही बनती थी



मात्र 10 साल की उम्र में विवाह कर पति
भगवती चरण वोहरा के घर आई दुर्गावती
देवी केवल तीसरी कक्षा तक पढ़ी थीं।
स्वाधीनता की चिंगारी को उन्होंने
ससुराल में महसूस किया और कूद पड़ी
उस क्रांति में जो अंग्रेजों से मुक्ति पाने के
लिए छेड़ी जा रही थी। दुर्गा देवी पिस्तौल
चलाना जानती थीं और बम बनाना भी
क्रांतिकारियों तक हथियार पहुंचाना
उनका एक काम था। जयपुर के राज
दरबार में एक राजवैद्य थे जिनका नाम
मुक्तिनारायण शुक्ल था। उनकी
सहानुभूति क्रांतिकारियों के साथ थी।
दुर्गा भाभी उनसे शस्त्र प्राप्त करने जयपुर
गईं। घने जंगलों में उन्हें शस्त्र सौंप गए,
लेकिन वह उन्हें कैसे लेकर आएँ, यह
सूझ नहीं रहा था। आखिर वैद्यराज ने
सलाह दी दुर्गावती शस्त्रों को अपने शरीर
पर बांध लें और ऊपर से ढीली-ढाली
वेशभूषा पहन लें। क्रांतिकारी दुर्गा भाभी
पुस्तक के लेखक सत्यानारायण शर्मा

गाजियाबाद में करीब 15 साल तक दुर्गा
भाभी के संपर्क में रहे। वह अपनी किताब
में लिखते हैं कि मुझे दुर्गा भाभी ने बताया
था कि मैं दो बार जयपुर से शस्त्र लेकर
आई। एक बार रिवाल्वर की नली बहुत
बड़ी थी इसलिए गले पर दुपट्टा लपेटकर
रातभर बैठे-बैठे ही रेलगाड़ी में सफर
किया। इसी तरह से दुर्गा भाभी ग्वालियर
से भी हथियार लेकर आईं। कहते हैं कि
चंद्रशेखर आजाद ने अंग्रेजों से लड़ते वक्त
जिस पिस्तौल से खुद को गोली मारी थी
उसे दुर्गा भाभी ही लेकर आई थीं।

दुर्गा भाभी का एक किस्सा काफी मशहूर
है। वह भगत सिंह की पत्नी बनकर उन्हें
लाहौर (अब पाकिस्तान में) से निकाल
लाई थीं। दरअसल 17 दिसंबर, 1928 को
लाहौर में अंग्रेज पुलिस अधिकारी सांडर्स
की हत्या कर दी गई। इसी अफसर ने
लाला लाजपतराय पर लाठियां बरसाईं
थीं। हत्या के आरोप में अंग्रेज सरकार
भगत सिंह और राजगुरु को लाहौर में दंड
रही थी। वहां से निकल भागने के लिए
राजगुरु के दिमाग में एक योजना थी,
लेकिन उसके लिए एक महिला की मदद
की जरूरत थी। जब दुर्गा भाभी से मदद
मांगी गई तो वह सहायता के लिए सहर्ष
तैयार हो गईं।

अंग्रेजों से अपनी पहचान छिपाने के लिए
भगत सिंह ने अपनी दाढ़ी हटवा दी और
सिर पर अंग्रेजी हैट लगा लिया। 20
दिसंबर की सुबह लाहौर से कलकत्ता
(अब कोलकाता) जाने वाली ट्रेन में भगत
सिंह और उनकी पत्नी बनी दुर्गा भाभी
बच्चे के साथ पहले दर्जे में बैठे और
नौकर बनें राजगुरु के लिए तीसरे दर्जे
का टिकट कटाया गया। भगत सिंह और
दुर्गा भाभी के पास पिस्तौल थी। सूट-बूट
और हैट में सजे भगत सिंह अंग्रेजों की
नजरों से बच गए। फिर कलकत्ता में ही
भगत सिंह की वो तस्वीर ली गई थी
जिसमें उन्होंने हैट पहन रखा है।

दुर्गावती देवी के पति भगवती चरण
वोहरा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक
एसोसिएशन के सदस्य थे। शादी के बाद
दुर्गावती भी इस दल की सदस्य बन गईं।
दल के सदस्य उन्हें दुर्गा भाभी कहते थे।
इसीलिए वह इसी नाम से प्रसिद्ध हो गईं।
दुर्गावती का जन्म कौशांबी (तत्कालीन
इलाहाबाद) के सिराथू तहसील के
शहजादपुर गांव में 07 अक्टूबर, 1907 को
पंडित बांके बिहारी के घर में हुआ था।
इनके पिता इलाहाबाद कलेक्ट्रेट में
नाजिर थे।

दुर्गावती के पति भगवती चरण वोहरा देश
को अंग्रेजी राज से मुक्त कराने का सपना
देखते रहते थे। इसलिए क्रांतिकारी
वोहरा ने बम बनाने का प्रशिक्षण लिया
और बम बनाकर रावी तट पर उसके
परीक्षण का निर्णय लिया। दुर्भाग्य से वहां
बम विस्फोट हो गया और इस परीक्षण में
वोहरा और उनके कुछ साथी शहीद हो
गए। दुर्गावती विधवा जरूर हुईं, लेकिन
पति के जाने के बाद भी कमजोर नहीं
पड़ी, बल्कि दोगुनी शक्ति से सक्रिय हो
गईं।

केंद्रीय एसेंबली में बम फेंकने के बाद
सरदार भगत सिंह गिरफ्तार हो गए तो
चंद्रशेखर आजाद कोई ऐसा काम करना
चाहते थे कि अंग्रेज सरकार यह समझे
कि क्रांति की ज्वाला अभी थमी नहीं है।
इस काम के लिए दुर्गा भाभी को चुना
गया। अभी इस कार्य की योजना बनाई
जा ही रही थी कि दूसरे लाहौर षड्यंत्र
केस में 07 अक्टूबर, 1930 को भगत सिंह,
सुखदेव और राजगुरु को फांसी की सजा
सुना दी गई। इस फैसले से नाराज दुर्गा
भाभी उत्तेजित हो गईं और उन्होंने उस
काम को जल्द से जल्द अंजाम देने की
पहल की। नौ अक्टूबर को अपने साथियों
के साथ दुर्गा भाभी ने गवर्नर हैली की
गलतफहमी में गोलियां चलाई जिसमें
अंग्रेज सार्जेंट टेलर और उनकी पत्नी
मारे गए। इसके कारण अंग्रेज उनके पीछे

पड़ गए। सभी साथी पकड़े गए, लेकिन दुर्गा भाभी फरार हो गई। वह लाहौर से देहरादून आई फिर हरिद्वार व ऋषिकेश में रहने के बाद गाजियाबाद आ गई और प्यारेलाल कन्या विद्यालय में अध्यापिका की नौकरी करने लगीं, लेकिन कुछ समय बाद दिल्ली चली गई। वह कांग्रेस में शामिल हो गई, लेकिन बाद में कांग्रेस छोड़ दी। अब दुर्गा भाभी के सामने जीवनयापन का प्रश्न था। इसलिए वर्ष 1939 में मद्रास (अब चेन्नई) जाकर उन्होंने मांटेसरी पद्धति का प्रशिक्षण लिया तथा 1940 में लखनऊ में एक मकान में सिर्फ पांच बच्चों के साथ मांटेसरी विद्यालय खोला। जब वह

अस्वस्थ रहने लगीं तो उन्होंने स्कूल से अवकाश ले लिया और अपने एकमात्र पुत्र शचींद्र के साथ रहने लगीं। 15 अक्टूबर, 1999 को गाजियाबाद में दुर्गा भाभी ने सबसे नाता तोड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह दिया।

दुर्गा भाभी के अंतिम दिनों में उनकी स्मृति काफी कमजोर हो गई थी। लाहौर के नेशनल कालेज में भगत सिंह, भगवती चरण वोहरा और सुखदेव के अध्यापक रहे उदयवीर सिंह शास्त्री बाद में गांधी नगर स्थित आर्य समाज संन्यास आश्रम, गाजियाबाद आ गए थे। उनसे मैं भी

परिचित था, क्योंकि वह मेरे बाबा पं. जनार्दन शर्मा के दोस्त थे। उन्होंने मुझे दुर्गा भाभी के लाहौर से फरार होने के बाद देहरादून आने और वहां से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने की घटना बताई थी। दुर्गा भाभी ने भी बताया था कि पैदल चलने के कारण पैरों में छाले पड़ गए थे। बनारस में रह रहे सतीशचंद्र मिश्र से भी कई जानकारी मिली। सतीशचंद्र उन विनायक मिश्र के पौत्र हैं जिन्होंने चंद्रशेखर आजाद की अंत्येष्टि की थी।

साभार—दैनिक जागरण
दिनांक — 8 जनवरी, 2022

राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अनिवार्य रूप से द्विभाषी जारी किए जाने वाले कागजात

- 1 सामान्य आदेश/General Orders
- 2 संकल्प/Resolution
- 3 परिपत्र/Circulars
- 4 नियम/Rules
- 5 प्रशासनिक या अन्य प्रतिवेदन/Administrative or other reports
- 6 प्रेस विज्ञप्तियाँ/Press Release/Communiques
- 7 संविदाएँ/Contracts
- 8 करार/Agreements
- 9 अनुज्ञप्तियाँ/Licences
- 10 निविदा प्रारूप/Tender Forms
- 11 अनुज्ञा पत्र/Permits
- 12 निविदा सूचनाएँ/Tender Notices
- 13 अधिसूचनाएँ/Notifications
- 14 संसद के समक्ष रखे जाने वाले/प्रतिवेदन तथा कागज पत्र/Reports and documents to be laid before the Parliament

राजभाषा हिन्दी के अनुसार राज्यों का वर्गीकरण

क्षेत्र क— बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, राजस्थान और उत्तर प्रदेश तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र ख— गुजरात, महाराष्ट्र और पंजाब राज्य तथा चंडीगढ़, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

क्षेत्र ग— खंड (1) और (2) में निर्दिष्ट राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से भिन्न राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

राजभाषा नियम 1976 नियम 5

राजभाषा नियम 1976 के नियम 5 के अनुसार हिंदी में प्राप्त पत्रों के उत्तर आवश्यक रूप से हिंदी में दिया जाना अनिवार्य है। अतः सभी विभाग/केन्द्र/अनुभाग/प्रकोष्ठ/एकक आदि के प्रमुखों से अनुरोध है कि हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में दें और उनका रिकॉर्ड रखें।